उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-110/2015/8314/62-2-2015-2/4(26)/2012
लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर,2015

विज्ञप्ति/पदोन्नति/तैनाती

श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई, को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई के पद पर (वेतन बैण्ड-4, वेतनमान रू0-37400-67000, ग्रेड वेतन रू0-8700/-) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नति प्रदान करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- अधीक्षण अभियंता के पद पर विधिवत तैनाती होने तक श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी पूर्व में सौपे गये दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन यथावत करते रहेगें।

3- उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में लम्बित रिट याचिका सं0-985(एस0बी0)/2013, गोविन्द चन्द्र गुप्ता बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-110/2015/8314(1)/62-2-2015,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- संबंधित मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
5- संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- संबंधित अधिकारी।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in